रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229756 CG-DL-E-17092021-229756

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3493] No. 3493] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/ BHADRA 26, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3805(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मु और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी 162+800 से 198+250 कि.मी. तक अखनूर से पुँछ रोड का निर्माण (चौडीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्रनर भूमि अधिग्रहण अधिकारी- पुँछ, आफिस–पुँछ, जिला-पुँछ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएगें और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकत्र्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा

5225 GI/2021 (1)

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

# अनुसूची

जम्मु एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश <mark>जम्मू और कश्मीर</mark> के जिले पुँछ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी. 162+800 से 198+250 कि. मी. (अखनुर से पुँछ रोड़ सेक्शन-8) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अथवा सरचना भूाम का साक्षप्त विवरण ।								
राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर जिले का नाम: पूँछ								
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)			
तालुक का नाम	तालुक का नाम: सुरनकोट							
गांव का नाम: स्मोथ पोठा								
1	593	निजी	असिंचित	0.0083000(हेक्टेयर )	0.0083000			
2	593/1	निजी	सड़क	0.0225000(हेक्टेयर )	0.0225000			
3	593Min	निजी	असिंचित	0.0625000(हेक्टेयर )	0.0625000			
4	595	निजी	असिंचित	0.1169000(हेक्टेयर )	0.1169000			
5	595Min	निजी	असिंचित	0.0356000(हेक्टेयर )	0.0356000			
6	596	निजी	असिंचित	0.1681000(हेक्टेयर )	0.1681000			
7	597	निजी	असिंचित	0.0650000(हेक्टेयर )	0.0650000			
8	762	निजी	असिंचित	0.0042000(हेक्टेयर )	0.0042000			
9	765	निजी	असिंचित	0.0117000(हेक्टेयर )	0.0117000			
10	776	निजी	असिंचित	0.0039000(हेक्टेयर )	0.0039000			
11	780	निजी	असिंचित	0.0344000(हेक्टेयर )	0.0344000			
12	781	सरकारी(लाभार्थी)	असिंचित	0.0139000(हेक्टेयर )	0.0139000			
13	788	निजी	असिंचित	0.0125000(हेक्टेयर )	0.0125000			
14	789	निजी	असिंचित	0.0083000(हेक्टेयर )	0.0083000			
15	790	सरकारी	असिंचित	0.0067000(हेक्टेयर )	0.0067000			

16	794	सरकारी	असिंचित	0.0347000(हेक्टेयर )	0.0347000		
17	795	सरकारी	नाला	0.0300000(हेक्टेयर )	0.0300000		
18	916	निजी	असिंचित	0.0467000(हेक्टेयर )	0.0467000		
19	919	निजी	असिंचित	0.0217000(हेक्टेयर )	0.0217000		
20	923	निजी	असिंचित	0.0139000(हेक्टेयर )	0.0139000		
21	924	निजी	असिंचित	0.1189000(हेक्टेयर )	0.1189000		
22	926	निजी	असिंचित	0.0167000(हेक्टेयर )	0.0167000		
23	960	निजी	असिंचित	0.0097000(हेक्टेयर )	0.0097000		
24	961	निजी	असिंचित	0.0131000(हेक्टेयर )	0.0131000		
25	963	निजी	असिंचित	0.0369000(हेक्टेयर )	0.0369000		
26	964	निजी	असिंचित	0.0083000(हेक्टेयर )	0.0083000		
27	965	निजी	असिंचित	0.0106000(हेक्टेयर )	0.0106000		
28	966	निजी	असिंचित	0.0253000(हेक्टेयर )	0.0253000		
गांव का नाम: र	गांव का नाम: सुरानकोट						
1	1038	निजी	असिंचित	0.0339000(हेक्टेयर )	0.0339000		
2	1108	सरकारी(लाभार्थी)	असिंचित	0.0175000(हेक्टेयर )	0.0175000		
3	1118	निजी	असिंचित	0.0367000(हेक्टेयर )	0.0367000		
4	1119	निजी	असिंचित	0.0117000(हेक्टेयर )	0.0117000		
5	1124	निजी	असिंचित	0.0175000(हेक्टेयर )	0.0175000		
6	1127	निजी	असिंचित	0.0167000(हेक्टेयर )	0.0167000		
7	1129	निजी	असिंचित	0.0150000(हेक्टेयर )	0.0150000		
			1.1100	1.1100			

[फा. सं. **8/3A**] राजेश गुप्ता, निदेशक

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

**S.O.** 3805(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied

that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.144A in the stretch of land from Km 162+800 to 198+250 Km Akhnoor to Poonch Road in the District- Poonch in the State of Union Territory **JAMMU & KASHMIR**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Commissioner Land Acquisition Poonch, Poonch District Poonch,** in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 162+800 to 198+250 (Akhnoor to Poonch Road Section - 8) Road of the National Highway No. 144A in the State of Union Territory.

State: JAMMU & KASHMIR District: POONCH								
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)			
Taluk: Surankote								
Village:	: Smote Potha							
1	593	Private	Non-Irrigated	0.0083000(Hectare )	0.0083000			
2	593/1	Private	Road	0.0225000(Hectare )	0.0225000			
3	593Min	Private	Non-Irrigated	0.0625000(Hectare )	0.0625000			
4	595	Private	Non-Irrigated	0.1169000(Hectare )	0.1169000			
5	595Min	Private	Non-Irrigated	0.0356000(Hectare )	0.0356000			
6	596	Private	Non-Irrigated	0.1681000(Hectare )	0.1681000			
7	597	Private	Non-Irrigated	0.0650000(Hectare )	0.0650000			
8	762	Private	Non-Irrigated	0.0042000(Hectare )	0.0042000			
9	765	Private	Non-Irrigated	0.0117000(Hectare )	0.0117000			
10	776	Private	Non-Irrigated	0.0039000(Hectare )	0.0039000			
11	780	Private	Non-Irrigated	0.0344000(Hectare )	0.0344000			
12	781	Government(Beneficial)	Non-Irrigated	0.0139000(Hectare )	0.0139000			
13	788	Private	Non-Irrigated	0.0125000(Hectare )	0.0125000			
14	789	Private	Non-Irrigated	0.0083000(Hectare )	0.0083000			
15	790	Government	Non-Irrigated	0.0067000(Hectare )	0.0067000			
16	794	Government	Non-Irrigated	0.0347000(Hectare )	0.0347000			
17	795	Government	Nala	0.0300000(Hectare )	0.0300000			
18	916	Private	Non-Irrigated	0.0467000(Hectare )	0.0467000			
19	919	Private	Non-Irrigated	0.0217000(Hectare )	0.0217000			
20	923	Private	Non-Irrigated	0.0139000(Hectare )	0.0139000			
21	924	Private	Non-Irrigated	0.1189000(Hectare)	0.1189000			

5	1124	Private Private	Non-Irrigated Non-Irrigated	0.0175000(Hectare )	0.0175000			
4	1119	Private	Non-Irrigated	0.0117000(Hectare )	0.0117000			
3	1118	Private	Non-Irrigated	0.0367000(Hectare )	0.0367000			
2	1108	Government(Beneficial)	Non-Irrigated	0.0175000(Hectare )	0.0175000			
1	1038	Private	Non-Irrigated	0.0339000(Hectare )	0.0339000			
Village	Village: Surankote							
28	966	Private	Non-Irrigated	0.0253000(Hectare )	0.0253000			
27	965	Private	Non-Irrigated	0.0106000(Hectare )	0.0106000			
26	964	Private	Non-Irrigated	0.0083000(Hectare )	0.0083000			
25	963	Private	Non-Irrigated	0.0369000(Hectare )	0.0369000			
24	961	Private	Non-Irrigated	0.0131000(Hectare )	0.0131000			
23	960	Private	Non-Irrigated	0.0097000(Hectare )	0.0097000			
22	926	Private	Non-Irrigated	0.0167000(Hectare)	0.0167000			

[F. No. 8/3A] RAJESH GUPTA, Director रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229752 CG-DL-E-17092021-229752

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3492] No. 3492] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3804(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मु और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राजौरी एवं पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी 146+700 से 162+800 कि.मी. तक अखनूर से पुँछ रोड का निर्माण (चौडीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् **डिप्टी कमिश्रनर भूमि अधिग्रहण अधिकारी- पुँछ आफिस- पुँछ जिला- पुँछ** को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएगें और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा

5224 GI/2021 (1)

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

जम्मु एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश **जम्मू और कश्मीर** के राजौरी एवं पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी. 146+700 से 162+800 कि. मी. (अखनुर से पुँछ रोड़ सेक्शन-7) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रिहत अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर जिले का नाम: पूँछ						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	ति भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षे		
				(स्थानीय इकाई)	(हेक्टेयर)	
तालुक का नाम:	: मेंढर					
गांव का नाम: ब	ाटा धूऊरिया					
1	621	निजी	नाला	0.0013000(हेक्टेयर )	0.0013000	
2	622	निजी	सिंचित	0.0447000(हेक्टेयर )	0.0447000	
3	623	निजी	असिंचित	0.0133000(हेक्टेयर )	0.0133000	
4	835	निजी	असिंचित	0.0375000(हेक्टेयर )	0.0375000	
5	838	निजी	असिंचित	0.0722000(हेक्टेयर )	0.0722000	
6	839	निजी	असिंचित	0.1250000(हेक्टेयर )	0.1250000	
			<u> </u>	0.2940	0.2940	

[फा. सं. **7/3A**] राजेश गृप्ता, निदेशक

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2021

**S.O. 3804(E).**—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.144A in the stretch of land from Km 146+700 to 162+800 Km Akhnoor to Poonch Road in the District-Rajouri or Poonch in the **union territory** of **Jammu & Kashmir**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Commissioner Land Acquisition Poonch, Poonch District Poonch**, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 146+700 to 162+800 (Akhnoor to Poonch Road Section - 7) Road of the National Highway No. 144A in the Union Territory of Jammu & Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR		District: POONCH			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land		Area
				(in Local Unit)	(in Hectare)
Taluk: N	Mendhar				
Village:	Bhatta Dhurian				
1	621	Private	Nala	0.0013000(Hectare )	0.0013000
2	622	Private	Irrigated	0.0447000(Hectare)	0.0447000
3	623	Private	Non-irrigated	0.0133000(Hectare )	0.0133000
4	835	Private	Non-irrigated	0.0375000(Hectare )	0.0375000
5	838	Private	Non-irrigated	0.0722000(Hectare )	0.0722000
6	839	Private	Non-irrigated	0.1250000(Hectare )	0.1250000
		0.2940	0.2940		

[F. No. 7/3A]

RAJESH GUPTA, Director